रिव्यू 820-II-15

(47)

न्यायालयः— मान. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2015 रिव्यू

शिवकुमार पुत्र बुन्देल सिंह रघुवंशी
निवासी ग्राम गागौनी तहसील बदरवास
जिला शिवपुरी म0 प्र0

——— आवेदक

श्री एस. पी. ... द्वारा आज दि. 17/04/15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. म.प्र. शासन
   मालम सिंह म्रत वारिस
2. रामबाबू नाबालिक पुत्र सरुपा जाटव
   निवासी ग्राम गागौनी तहसील बदरबास
   जिला शिवपुरी म.प्र.

——— अनावेदकगण

रिव्यू अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर प्र.क. 476/तीन/निगरानी/15 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के विरूद्ध रिव्यू प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से रिव्यू निम्न प्रकार पेश है :—

रिव्यू के संक्षेप में तथ्यः—

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्र. 895 रकवा 0.66 हे., 896 रकवा 0.75 हे. कुल किता 2 कुल रकवा 1.51 हे. भूमि का म.प्र. भू–दान यज्ञ बोर्ड द्वारा कृषि कार्य हेतु पट्टा ग्रहिता को पटटा प्रदान किया गया था। उक्त भूमि को पटटा ग्रहियता द्वारा आवेदक को 40 वर्ष पूर्व अपने भाग को मौखिक अनुबंध के आधार पर आवेदक के पिता मालम सिंह को दे दिया गया। उक्त कब्जे के आधार पर बंदोवस्त 1983–84 में आवेदक का नाम इस आधार पर कर दिया गया किए आवेदक के पिता द्वारा उक्त भूमि मौखिक अनुबंध के आधार पर कृषि करने हेतु प्राप्त की थी उसके आधार पर आवेदक का नाम भूमिस्वामी के खाना नं. 3 में अंकित होकार भूमिस्वामी है परन्तु पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार रन्नौद तह. बदरवास जिला शिवपुरी के प्रक. 70/97–98/बी–121 पर दर्ज किया जाकर विधिवत कार्यवाही सम्पन्न करते हुये आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 08–06–1998 से पारित किये गये। इसी प्रकार नायब तहसीलदार टप्पा रन्नौद तह. बदरवास के प्रक. 03/97–98/अ–46 पर दर्ज किया जाकर आवेदक शिवकुमार पुत्र बुन्देल सिंह वि. रामबाबू जाटव में विधिवत नियमों का पालन करते हुये आदेश दिनांक 15–06–1998 से आवेदक का नाम अंकित किये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश को अज्ञात शिकायत के आधार पर अपर कलेक्टर महोदय प्रक. स्वनिगरानी में लिया जाकर प्रक. 213/13–14/स्वनि. में पंजीबद्व किया गया। उक्त प्रकरण में आवेदक को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 820–दो/15 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
4-5.16	आवेदक की ओर से श्री एस0 पी0 धाकड़ अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 476–तीन/2015 में पारित आदेष दिनांक 16.3.15 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 820–दो/15 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 476–तीन/2015 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 16.3.15 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु प्रकरण कमांक 820–दो/15 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–	

प्रकरण कमांक रिव्यु 820–दो/15

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य